

# नगर पालिका, अनूपगढ़



शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये मूमि पट्टा-सिलेख जस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत पुन आवंटित भू-खण्डों को आज दिनांक 21.6.2010 के आवंटन/विक्रय-पत्र संख्या 1/2010 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी

श्रीमती दीवान लक्ष्मी उमा अष्टमश माता मोहन देवी देवी महिला शिक्षण संस्थान महाविद्यालय, अनूपगढ़ जाति

निवासी अन्नपूर 6 चक 16A

इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबादत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले उनके निर्वहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुक्तकील अलैह भी शामिल होंगे) के बीच लिखा गया है। इस बात का साक्षी है कि रुपये 6,78,840=00 अखरे 20 लाख 78 हजार 840 के द्वारा आरटी-ए

78,840=00, पैसे मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे

राजस्थान सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया) निष्पादन और पुनः आवंटित करती है जो चक नं. 152 मू. नु. 298/448 कि. नं. 9/237/12/23

रामादिका की मास्ट प्लान 2023 के मातेक जो जनाय योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और फलतः के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न

में खलाया गया है, और जिसे पूर्व सामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषणों, प्रतिबन्धों, और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् -

भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर नः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि 99 वर्ष होगी।

प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबंध में आरक्षित दर 6,78,840=00 रुपये प्रतिवर्ष की दर से वर्ष 3,39,420=00 रुपये की प्रतिशत की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा कराने की दिशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी। 31 मार्च से पूर्व अग्रिम शहरी जमाबन्दी जमा कराने की प्रतिशत की छूट भी देय होगी।

वर्ष की अग्रिम शहरी जमा बन्दी एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा/गया। साथ ही सरकार के आदेश क्रमांक प-5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 5.15.11.99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय नियमन राशि 6,78,840=00 रुपये की प्रतिशत की दर से देय होगी। 25 अगस्त 2010 तक शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि में संगणित की जायेगी।

उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, आयगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिए सक्षम होगी।

भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का व्यावसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक प-5 (3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमित अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्रवाही की जायेगी।

यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक का रिक्त है तो उस पर निर्माण अवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है एवं सेट बैक साइट प्लान कि अनुसार छोड़ने होंगे तथा पालिका के बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार निर्माण किया जाना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण पालिका से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाना होगा।

लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.ए.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रक्बा करवाया जायेगा।



अधिसाक्षी अधिकारी  
नगरपालिका अनूपगढ़

Q.S.

8. आवंटन द्वारा भूखण्ड विक्रय करने का क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण नगर पालिका अनुपगढ़ के नियमों से करवाना होगा ।
9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भाग को किसी जगह पिछले पद में निर्देशित आशय असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा ।
10. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी । यदि किसी उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी शर्त के अधिग्रहण कर लिया जावेगा ।

नोट - इस भूखण्ड की नियमन राशि ₹ 78,840 = 00 ..... रु प्रति वर्ग गज की पंजीकृत .....  
 होती है । अतएव स्टाम्प नं. 82/11 ..... संख्या 9 ..... बहसियत

लगाये जाते हैं ।  
 करों का नाम } पूर्व 330 फुट पश्चिम 330 फुट भूखण्ड संख्या 5657 9/11 } पूर्व  
 अनुपगढ़ } उत्तर 155 फुट दक्षिण 155 फुट योजना का नाम श्री 3 प्लान 202 } पश्चिम  
 विस्तृत नाम } } उत्तर }  
 क्षेत्रफल सहित } समिति का नाम श्री 3 प्लान 202 } दक्षिण

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षधारकों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर प्रत्येक दशा में हस्ताक्षर दिये हैं ।  
 सरकार की ओर से

आज सं. 20/10 के 21.6.20/0 के दिन  
 श्री श्री 3 प्लान 202 नगरपालिका अनुपगढ़  
 अधिकारी, नगरपालिका अनुपगढ़ श्री 3 प्लान 202 ने  
 निम्न वर्णित स्थिति में हस्ताक्षर किये ।

साक्षी :-  
 1. नाम श्री मदन मोहन गुप्ता  
 पिता/पति का नाम श्री इलाम चन्द गुप्ता  
 व्यवसाय कार्यालय - नगरपालिका  
 निवासी स्थान नगरपालिका, अनुपगढ़  
 2. नाम .....  
 पिता/पति का नाम .....  
 व्यवसाय .....  
 निवासी स्थान .....  
 आज दिनांक ..... को  
 निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री श्री 3 प्लान 202 पट्टेदार / खरीदार .....  
श्री 3 प्लान 202 नगरपालिका द्वारा कार्यालय, नगरपालिका अनुपगढ़ में हस्ताक्षर किये गये ।

साक्षी :-  
 1. नाम श्री सुरेश चंद्र शिंदे शिंदे  
 पिता/पति का नाम श्री रामेश्वर शिंदे शिंदे  
 व्यवसाय नौकरी  
 निवासी स्थान न/उना 7 अनुपगढ़  
 2. नाम श्री रामेश्वर कुमार  
 पिता/पति का नाम श्री नववती लाल  
 व्यवसाय नौकरी  
 निवासी स्थान न/उना 7 अनुपगढ़

नगरपालिका अनुपगढ़  
 अधिकारी  
 नगरपालिका अनुपगढ़